




कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, सी- स्कीम, जयपुर
(सतर्कता शाखा)

कार्यालय आदेश

दिनांक : 27.10.2020

इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 09.12.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सम्बंधित शिकायतों के निवारण हेतु कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्र फा. सं. 11013/3/2009/स्था. (ए) दिनांक 21.07.2019 एवं विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामलो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.03.1997 के दिशा निर्देशो व कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारक) अधिनियम, 2003 के तहत सुश्री निष्ठा शर्मा, उपायुक्त (क्र. सं. 2) के स्थान पर सुश्री पारुल सिंघल, उपायुक्त को आंतरिक शिकायत समिति का सदस्य तत्काल प्रभाव से मनोनीत किया जाता है।


27/10/2020
(महेंद्र पाल)

आयुक्त

फा. सं. II-39(23)Vig/JP/2015/Pt-I/1973

दिनांक 28/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. मुख्य आयुक्त, सी. जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर।
2. आयुक्त, सी. जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय - जयपुर/ अलवर/ उदयपुर/ जोधपुर, अंकेक्षण आयुक्तालय - जयपुर/ जोधपुर, अपील आयुक्तालय - जयपुर/ जोधपुर, सीमा शुल्क आयुक्तालय - जयपुर।
3. अपर आयुक्त (का. एवं सत.)/ तकनीकी/ कर अपवंचना, सी. जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
4. उप/ सहायक आयुक्त, सी. जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क संभाग ए से आई, जयपुर एवं जे से के, अजमेर एवं शाखा प्रभारी *CA Computer*, सी. जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी महिला अधिकारी एवं कर्मचारी को प्रेषित करे।
5. मुख्य लेखाधिकारी, सी. जी. एस. टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
6. सदस्यों की व्यक्तिगत प्रति।
7. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फाईल।
8. अधीक्षक (कम्प्यूटर) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।


(मंजूर अली अंसारी)

अपर आयुक्त (का. एवं सत.)